>

Title: The Minister of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business for the remaining part of the 5th session of 15th Lok Sabha and submission made by members.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the current Session, will consist of:-

.1 Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.

.2 Consideration and passing of the following Bills :-

(a) The Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010;

(b) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2010;

(c) The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010; and

(d) The Constitution (One Hundred Thirteenth Amendment) Bill, 2010

.3 Consideration and passing of the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010, as passed by Rajya Sabha.

.4 Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-

(a) The Nalanda University Bill, 2010;

(b)The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010; and

(c) The Representation of People (Amendment) Bill, 2010.

5. The Educational Tribunals Bill, 2010

अध्यक्ष महोदया: श्री मधु कोड़ा - उपस्थित नहीं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. अनुकम्पा के मामलों में ढिलाई और उपेक्षा से इन मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें हो रहे विलम्ब को दूर करने सम्बन्धी सभी मामलों का निपटान करने के लिए केन्द्र सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाए।

2. मध्य रेलवे के रेल स्टेशंस पर लैंडलाइन से स्थानीय कॉल की सुविधा बंद करने के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए इसे पुनः आरम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. देश के विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालय से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु एक कार्यक्रम बनाए जाने से संबंधित विषय।

2. अनुसूचित एवम् जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में खनन कार्य में लगी निजी कम्पनीज में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने के साथ-साथ कम्पनीज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने से संबंधित विषय।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. गिरिडीह जिला (झारखंड) के डुमरी प्रखंड और धनबाद जिला के टुण्डी प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता।

2. बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिले के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नए शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. बरौनी तेलशोधक कारखाने के नेफ्था से एरोमेटिक कारखाने खोलने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे।

2. मुंगेर-खगड़िया रेल सह सड़क पुल के निर्माण को 2010-2011 के वित्तीय वर्ष में रेलवे मंत्रालय उसे पूरा करे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए -

1, केन्द्र सरकार द्वारा बुंदेलखंड में प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में शीघ्र प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जाए।

2. झांसी छतरपुर पन्ना सतना रीवा मार्ग को ओरछा एवम् खजुराहो पर्यटन केन्द्रों में विदेशी सैलानियों की संख्या आकर्षित करने हेतु फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे सड़क बनाने की शीघ्र कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदया: श्री ए.टी. नाना पाटील - उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए -

1. अतिवृष्टि के कारण कच्ची बस्तियों में पानी भर जाने एवम् कच्चे मकान टूट जाने के कारण सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता हूं, क्योंकि नियमों में बाढ़ शब्द का उल्लेख किया गया है। उसकी व्याख्या करते समय अधिकारी अतिवृष्टि को बाढ़ में सम्मिलित नहीं करते हैं और सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में सहायता नहीं उपलब्ध कराते हैं। अतः इस विषय को लो सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

2. कृषि बीमा योजना में वर्तमान में तहसील को इकाई माना गया है. अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि तहसील की जगह ग्राम को इकाई मानकर कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः इस विषय को लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : लाल सिंह जी, आपने अगले सप्ताह के लिए दो विषय दिये हैं।

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): Madam, kindly include the following two subjects in List of Business of the next week:-

1) Regarding delay in establishment of 1000 MW Ujh Thermal Power Project at Kathua, Jammu and Kashmir.

2) Non-implementation of Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in some parts of the country.

अध्यक्ष महोदया : श्री जयप्रकाश अग्रवाल। आप दूसरे विषय पर ही बोलें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषय को सम्मिलित किया जाए:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए विगत काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।